

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 142] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 26, 1983/ भाद्र 4, 1905
No. 142] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST, 26 1983/BHADRA 4, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वाणिज्य मंत्रालय
(आयात व्यापार नियंत्रण)

सार्वजनिक सूचना सं. 35—आई टी सी (पी एन)/83

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 1983

विषय —विदेशी ऋण/भाख/अनदानों के मद्दे में भुगतान प्रक्रिया के अधीन
किए गए आयातों के सम्बन्ध में आयातकों से व्याज की वसूली-व्याज
की दर में संशोधन ।

मिसिल सं. आई पी सी/23/9/83 से जारी :—उपरोक्त विषय पर वाणिज्य
मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं. 31-आई टी सी (पी एन)/83, दिनांक 10
अगस्त, 1983 की ओर ध्यान दिलाया जाता है ।

2. उपर्युक्त सार्वजनिक सूचना में कड़िका 4 की उप-कड़िका (ख) को संशोधन करके इस प्रकार से पढ़ा जाएगा :—

(ख) अयातित माल या दी गई सेवाओं के लिए जहाँ पर भुगतान ऋण/क्रेडिट/अनुदानों में से 1 सितम्बर, 1983 से पूर्व किया गया था लेकिन रुपया 1 सितम्बर, 1983 को या इसके बाद जमा किया गया है ।

पी. सी. जैन, मुख्य नियंत्रक,
आयात एवं निर्यात ।

MINISTRY OF COMMERCE

IMPORT TRADE CONTROL

Public Notice No. 35—ITC(PN)/83

New Delhi, the 26th August, 1983

Subject . Recovery of interest from Importers in respect of imports made under the direct payment procedure against foreign loans|credits|grants—revision of rate of interest.

Issued from File No. IPC|23|9|83.—Attention is invited to the Ministry of Commerce Public Notice No. 31-ITC(PN)|83 dated the 10th August, 1983 on the above subject.

2. In the aforesaid Public Notice, sub para (b) of para 4 shall be amended to read as under :—

(b) Where payment, for goods imported or services rendered, was made out of loans|credits|grants prior to 1st September, 1983 but the rupee deposit is made on or after 1st September, 1983.

P. C. JAIN, Chief Controller of Imports & Exports.